

पत्रांक :-03/RUSA-SNA SPARSH-01/2024 102/898

झारखण्डसरकार
उच्च एवंतकनीकीशिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

प्रेषक,

सुधीर बाड़ा (भा0प्र0से0),
निदेशक, उच्च शिक्षा।

केन्द्रांश

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची।
अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा),
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक 21/07/2025

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) अंतर्गत विभिन्न अव्यवों (Components) में स्वीकृत योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु SNA SPARSH प्रणाली के तहत भारत सरकार के द्वारा निर्गत Mother Sanction (50% of Annual Allocation) में केन्द्रांश मद की राशि रु0 16,43,00,000/- (सोलह करोड़ तेतालिस लाख रुपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान करने के संबंध में।

प्रसंग :- 1. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक F.NO.24-4/2025.U.Policy दिनांक 02.07.2025
2. विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-98/बजट दिनांक 16.07.2025

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक एवं विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-98/बजट दिनांक 16.07.2025 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025-26 में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) अंतर्गत विभिन्न अव्यवों (Components) में स्वीकृत योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु SNA SPARSH प्रणाली के तहत भारत सरकार के द्वारा निर्गत Mother Sanction (50% of Annual Allocation) में केन्द्रांश मद की राशि रु0 16,43,00,000/- (सोलह करोड़ तेतालिस लाख रुपये) मात्र की आवंटन निम्नवत् प्रदान का जाती है-

क्र0	DDO एवं कोड	विपत्र कोड	आवंटित राशि
1	श्री मनौवर आलम, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (DRNSCT001)	21C22020310279010678	7,32,70,090=00
		21C22020378979010678	3,07,99,280=00
		21C22020379679010678	1,84,30,630=00
2	श्री सुधीर कुमार, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (DRNEDN046)	21C22020310279010678	4,00,00,000=00
		21C22020378979010678	18,00,000=00
	कुल योग-		16,43,00,000=00

2. केन्द्रांश के रूप में विमुक्त राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2025-26 की केन्द्र प्रायोजित स्कीम बजट के निम्नांकित शीर्ष -

(क) मुख्यशीर्ष-2202 सामान्य शिक्षा, 03-विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा, लघु शीर्ष-102-विश्वविद्यालयों को सहायता, उप शीर्ष-79- केन्द्र प्रायोजित योजना अंतर्गत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान- (केन्द्रांश 60 : राज्यांश 40), विस्तृत शीर्ष-06 अनुदान, 78-पूँजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान (विपत्र कोड-21C220203102790678)

(ख) मुख्यशीर्ष-2202 सामान्य शिक्षा, 03- विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-79- केन्द्र प्रायोजित योजना अंतर्गत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान- (केन्द्रांश 60 : राज्यांश 40), विस्तृत शीर्ष-06 अनुदान, 78-पूँजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान (विपत्र कोड-21C220203789790678) एवं

(ग) मुख्यशीर्ष-2202 सामान्य शिक्षा, 03- विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा, लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष-79- केन्द्र प्रायोजित योजना अंतर्गत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान- (केन्द्रांश 60 : राज्यांश 40), विस्तृत शीर्ष-06 अनुदान, 78-पूँजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान (विपत्र कोड-21C220203796790678) मद से किया जायेगा।

3. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, श्री सुधीर कुमार, अवर सचिव (उच्च शिक्षा) (DRNEDN046) एवं श्री मनोवर आलम, अवर सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (DRNSCT001) होंगे, जो संबंधित State Link Scheme के Drawing account से राशि की निकासी करेंगे।

4. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

5. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

6. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

7. स्वीकृत्यादेश संख्या 98/बजट दिनांक 16.07.2025 की अन्य शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

[Signature]
18.7.25

(सुधीर बाड़ा)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक-03/RUSA-SNA SPARSH-01/2024 *102/000* /रॉची, दिनांक- *31/07/2025*

प्रतिलिपि-महालेखाकार का कार्यालय, झारखण्ड, रॉची/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

[Signature]
18.7.25

(सुधीर बाड़ा)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक-03/RUSA-SNA SPARSH-01/2024 *102/000* /रॉची, दिनांक- *31/07/2025*

प्रतिलिपि -विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, रॉची/निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, राज्य परियोजना निदेशालय, रूसा/ अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, रूसा/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उच्च शिक्षा/ अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग/लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित तथा नोडल पदाधिकारी को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

[Signature]
18.7.25

(सुधीर बाड़ा)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

[Signature]



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Higher and Technical Education Department (Higher Education Division)

चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 3/R-SNA-01/2024/102/BUDGET

दिनांक - 21-Jul-2025

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	C 21 22020310279010678 2202 - सामान्य शिक्षा 03 - विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 102 - विश्वविद्यालयों को सहायता 79 - केन्द्र प्रायोजित योजना अंतर्गत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 01-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 06 - अनुदान Central Scheme	47341	DRNEDN046 SUDHIR KUMAR UNDER SECT.HIGHER EDU.DIR.JHA. 78 - पूंजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान	40,000,000.00 रुपये चार करोड़
	State Scheme : RASHTRIYA UCHCHATAR SHIKSHA ABHIYAN (RUSA)(0935) Central Scheme : RASHTRIYA UCHHATAR SIKSHA ABHIYAN(9170)			
2	C 21 22020310279010678 2202 - सामान्य शिक्षा 03 - विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 102 - विश्वविद्यालयों को सहायता 79 - केन्द्र प्रायोजित योजना अंतर्गत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 01-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 06 - अनुदान Central Scheme	47409	DRNSCT001 MANAUWAR ALAM U/S HIGHER & TECHNICAL EDU DEP 78 - पूंजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान	73,270,090.00 रुपये सात करोड़ बत्तीस लाख सत्तर हजार नब्बे
	State Scheme : RASHTRIYA UCHCHATAR SHIKSHA ABHIYAN (RUSA)(0935) Central Scheme : RASHTRIYA UCHHATAR SIKSHA ABHIYAN(9170)			
3	C 21 22020378979010678 2202 - सामान्य शिक्षा 03 - विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 79 - केन्द्र प्रायोजित योजना अंतर्गत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 01-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 06 - अनुदान Central Scheme	47342	DRNEDN046 SUDHIR KUMAR UNDER SECT.HIGHER EDU.DIR.JHA. 78 - पूंजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान	1,800,000.00 रुपये अठारह लाख
	State Scheme : RASHTRIYA UCHCHATAR SHIKSHA ABHIYAN (RUSA)(0935) Central Scheme : RASHTRIYA UCHHATAR SIKSHA ABHIYAN(9170)			

योग:

115,070,090.00

क्रमिक योग:

रुपये ग्यारह करोड़ पचास लाख सत्तर हजार नब्बे

Sudhir Bara
(SUDHIR BARA)

DIRECTOR

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	C 21 22020378979010678 2202 - सामान्य शिक्षा 03 - विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 79 - केन्द्र प्रायोजित योजना अन्तर्गत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 01-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 06 - अनुदान Central Scheme State Scheme : Central Scheme :	47405	DRNSCT001 MANAUWAR ALAM U/S HIGHER & TECHNICAL EDU DEP 78 - पूँजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान	30,799,280.00 रुपये तीन करोड़ सात लाख निम्नानुसार हजार दो सौ अस्सी
5	C 21 22020379679010678 2202 - सामान्य शिक्षा 03 - विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 79 - केन्द्र प्रायोजित योजना अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा अभियान 01-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 06 - अनुदान Central Scheme State Scheme : Central Scheme :	47344	DRNSCT001 MANAUWAR ALAM U/S HIGHER & TECHNICAL EDU DEP 78 - पूँजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान	18,430,630.00 रुपये एक करोड़ चौरासी लाख तीस हजार सठ सौ तीस
योग:				49,229,910.00
क्रमिक योग:				164,300,000.00
			(SUDHIR BARA) DIRECTOR	